आवेदन क्रमांक ——————　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　आवेदन पत्र मूल्य रू. 500/-

जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के शहरों नरसिंहपुर, करेली गाडरवारा, कटनी, सिहोरा, कैमोर, मैहर, पांढुर्ना, मंडला, बिछिया, अंजनिया, देवसर, अमरौली (सिंगरौली), डिंडोरी, विजराघवगढ़, सौंसर, अमरवाड़ा, परासिया, छपारा, कोतमा, छिंदवाड़ा, बालाघाट एवं सिवनी में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक नियुक्ति के लिये द्विवर्षीय अनुबंध हेतु आवेदन।

आवेदन पत्र

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
करौदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर 482004 (म0प्र0)
दूरभाष–टोल फ्री नंबर –9409600500
E-mail: jdssanchi@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर 482004 (म0प्र0)

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक नियुक्ति हेतु

❨ आवेदन पत्र ❩

1. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	29/06/2018 को समय 1.00 बजे
2. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	29/06/2018 को समय 2.00 बजे
3. आवेदन पत्र खोलने की तिथि एवं समय।	▪	29/06/2018 को समय 3.00 बजे
4. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि।	▪	10,000=00 (दस हजार रूपये)
5. आवेदन पत्र खोलने का स्थान	▪	जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्यादित, करौंदानाला, इमलिया कटनी रोड़, जबलपुर
6. दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु तकनीकी अर्हताये का प्रारूप।	▪	प्रपत्र 01
7. दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक की सामान्य शर्ते।	▪	प्रपत्र 02
8. अनुबंध प्रारूप।	▪	प्रपत्र 03

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

– प्रपत्र कमांक 01 ''तकनीकी अर्हताये'' '' प्रपत्र 02 "आवश्यक शर्ते" एवं प्रपत्र 03 आवेदन पत्र एवं अनुबंध प्रारूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ''**दूध एवं *दुग्ध उत्पाद वितरक* हेतु आवेदन**'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।

– आवेदन पत्र मे उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त आवेदन कर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नही की जावेगी।

– बिना पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नही किये जावेगे।

– आवेदक द्वारा प्रपत्र .1, प्रपत्र -2 प्रपत्र– 03 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

(तकनीकी अर्हतायें)

प्रति, *प्रपत्र .01*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

विषय :— सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु आवेदन बाबद।

महोदय,

सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु दिनांक ———————को ——————————— समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन फार्म मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मै एतद् द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के नाम से जबलपुर में भुगतान योग्य ई.एम.डी.राशि रू. 10,000/- (अक्षरी रू दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक ———————— जो कि बैंक ——————————————— का है, संलग्न कर रहा हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रमांक	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनर शिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	आवेदनकर्ता का पैन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
5.	टिन नम्बर।		टिन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करे।
6.	सॉची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु उपलब्ध इंस्युलेटेड वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावे।
7.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।

8.	विगत तीन वित्तीय वर्ष। (कर निर्धारण वर्ष 11-12, 12-13 & 13-14) विक्रय कर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।		पैन कार्ड, आयकर विभाग मे रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।
9.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस		लायसेंस/आवेदन की छायाप्रति।
10.	ई.एम.डी. का विवरण		मूल ड्राफ्ट संलग्न करें।

नोट :—

1. उक्त समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

2. तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र कमांक 01 आवेदन की शर्ते प्रपत्र कमांक 02—अनुबंध प्रारूप प्रपत्र कमांक 4, आवेदन प्रपत्र क. 03 के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

3. उपरोक्त जानकारियों मे से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर **दुग्ध एवं दुग्घ उत्पाद वितरक** एजेन्सी को निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी, जो मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर ....

नाम — — — — — — — — —

पता — — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

दूरभाष नम्बर

Mob No.

❧ सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक आवेदन हेतु ☙

::– आवश्यक शर्ते –::

(1) आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदक को दूध एवं दुग्ध उत्पाद अथवा FMCG वस्तुओं के वितरण का अनुभव रखने वाली पार्टियों को वरीयता दी जायेगी। एक से अधिक पात्र आवेदकों में से चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

(3) आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के संबंध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण पत्र के साथ) प्रस्तुत करना होगा।

(4) आवेदक को आवेदन के साथ रू. 10,000/- (अक्षरी रू दस हजार मात्र) डी.डी./नगद अर्नेस्ट मनी के रूप मे जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति मे आवेदन पर विचार नही किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगे।

(5) आवेदनकर्त्ता के पास आयकर पान नंबर/जीएसटी नंबर एवं सर्विस टेक्स नंबर होना चाहिये।

(6) वितरक को कुल प्रतिभूति राशि रू. 100,000/– (एक लाख रूपये) नगद जमा कराना अनिवार्य होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा साथ ही आवेदन के साथ जमा अर्नेस्ट मनी रू. 10000/– को प्रतिभूति राशि मद में समायोजन किया जावेगा।

(7) वितरक को माल के वितरण कार्य मे लगाये जाने वाले कम से कम एक वाहन (इन्स्युलेटेड) की व्यवस्था भी करना होगी।

(8) वितरक को अपनी मांग एक दिवस पूर्व संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी दिन मे एक ही बार संयंत्र वितरण डाक से किया जावेगा।

(9) संघ की निर्धारित नवीन नीति अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग के कुल राशि का भुगतान अग्रिम रूप से आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से दुग्ध संघ को किया जावेगा।

(10) वितरक को दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट, हानि की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी।

(11) वितरक को संघ की निर्धारित शर्तो अनुसार रू. 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। साथ ही दुगध उत्पाद वितरकशिप को दो वर्ष के लिये नियुक्त किया जावेगा, तत् पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार मे व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोषजनक होने पर इसमे प्रबंध के निर्णय अनुसार वृद्धि की जा सकेगी।

(12) आवेदक को विगत 3 वर्ष के व्यवसाय अन्तर्गत रूपये न्यूनतम पच्चीस लाख का व्यवसाय होना आवश्यक है।

(13) आवेदन पत्र के साथ आवेदक के द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्ट मनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो होगा साथ आवेदक ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।

(14) वितरक द्वारा संबंधित शहर में वर्तमान में कार्यरत् या भविष्य में बनाये गये विक्रेताओ को दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय करने के अतिरिक्त अपने स्तर से भी अतिरिक्त पार्टी बनानी होगी।

(15) वितरक को शहर में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर दुग्ध संघ द्वारा दिये गये लक्ष्यों की शत् प्रतिशत प्राप्ति सुनश्चित् करना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि की जावेगी।

(16) नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक को कम से कम 02 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर शहर में विस्तार कार्य हेतु रखना होगा एवं बाजार की आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगा।

(17) दुग्ध संघ का दुग्ध उत्पाद वितरक होने पर आवेदनकर्त्ता किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध उत्पाद वितरण कार्य नहीं कर सकेगा। साथ ही ब्राण्ड प्रमोशन मे पूर्ण सहभागिता देगा।

(18) दुग्ध संघ द्वारा वितरक को समस्त दुग्ध उत्पाद की प्रत्येक यूनिट पर दुग्ध संघ से निर्धारित मार्जिन देय होगा जिसमें जबलपुर/रीवा/छिंदवाडा संयंत्र से दुग्ध उत्पाद उठाने तथा सभी विक्रय केन्द्रों पर पहुँचाने का परिवहन व्यय भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो भी मार्जिन रिटेलरों को दुग्ध संघ द्वारा दिया जावेगा उसको वितरक द्वारा संबंधितों को देना होगा।

(19) किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(20) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

(21) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नही करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

(22) वितरक का चयन आवेदक की व्यवयायिक साख, पूँजी लगाने की क्षमता, दुग्ध उत्पाद/एफएमसीजी व्यवसाय का अनुभव एवं उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रचर के आधार पर किया जावेगा।

मेरे द्वारा सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्ते पढ व समझ ली है तथा मै सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूॅ/है। आवेदन मे दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन मे प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्रमांक 01 से 22 तक वर्णित शर्तो का पालन नही करता हूॅ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूॅ।

दिनांक

हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम एवं पता)

<u>प्रपत्र क्रमांक</u> . 03

❖ सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु आवेदन पत्र ❖

नरसिंहपुर, करेली गाडरवारा, कटनी, सिहोरा, कैमोर, मैहर, पांढुर्ना, मंडला, बिछिया, अंजनिया, देवसर, अमरौली (सिंगरौली), डिंडोरी, विजराघवगढ़, सौंसर, अमरवाड़ा, परासिया, छपारा, कोतमा, छिंदवाड़ा, बालाघाट एवं सिवनी

(जिस मार्ग हेतु आवेदन किया गया है उस पर सही का निशान लगावें)

पासपोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करे

1. आवेदक का नाम ■ ——————————————

2. पिता/पति का नाम ■ ——————————————

3. स्थाई पता ■ ——————————————
(प्रमाण सहित) ——————————————
——————————————

(अ) दूरभाष नं. ■
(ब) मोबाईल नं. ■
(स) पैनकार्ड नं. ■

4. शैक्षणिक योग्यता ■ ——————————————

5. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ ——————————————
——————————————
——————————————

6. वर्तमान व्यवसाय ■ ——————————————

7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे) ■ ——————————————

……/2/….

8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ▪ ——————————————

(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा। –

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। – – – – – – – – – – – – –
(गत दो वर्ष का आयकर विवरण) संलग्न करे।

9. वितरक हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ▪ –

10. (अ) पैन नम्बर ▪ – – – – – – – – – – – – –
(ब) टिन नम्बर ▪ – – – – – – – – – – – – –
(स) सर्विस टैक्स नम्बर। ▪ – – – – – – – – – – – – –
(द) एफ.एस.एस.ए.आई.नम्बर ▪ – – – – – – – – – – – – –

11. वाहन व्यवस्था (स्वयं का इंस्युलेटड वाहन होना आवश्यक) वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे, अथवा विवरण दे। ▪ –

12. धरोहर राशि। ▪ रू.– – – – – – – – – – – – –
(D.D./M.R. कमांक)
दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न है)

दिनांक —आवेदक के हस्ताक्षर—

(पूरा नाम)

प्रपत्र कमांक . 04

☙ *अनुबंध प्रारूप* ❧

यह अनुबंध **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर जिसे आगे ''प्रथम पक्ष'' एवं **श्री/मेसर्स** --, **पिता श्री** ------------------------------ **निवास**-------------------------------------- जिन्हें आगे साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक ------------ को ''द्वितीय पक्ष'' के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य निम्न शर्तो पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :-

(1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु सम्पूर्ण ------------- शहर हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु वितरक नियुक्त किया गया है। यदि वितरक का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो कार्य अवधि में एक-एक वर्ष कर अधिकतम तीन वर्ष की वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।

(2) वितरक को कुल प्रतिभूति राशि रू. 100,000/- (एक लाख रूपये) नगद जमा कराना अनिवार्य होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(3) संघ की निर्धारित नवीन नीति अनुसार दुग्ध उत्पाद की मांग के कुल राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जावेगा।

(4) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष अधिकृत वितरक को उसकी मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद न्यूनतम 01 दिवस पूर्व अग्रिम में देना होगा तथा उसी अनुसार दुग्ध उत्पाद प्राप्त करेंगे। तथा उसका लेखा जोखा रखेंगे।

(5) यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करे कि द्वितीय पक्ष साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय का वितरण समान रूप से विक्रेताओं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नही कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति मे प्रथम पक्ष तत्काल मे अपने साधन से दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की तस्दीक करेगे कि द्वितीय पक्ष द्वारा विक्रेताओं की मांग पूर्ति किन कारणों से नही की जा रही है, यदि जान बूझ लापरवाही की जा रही है, पाया जाता है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की वितरकशिप एजेन्सी समाप्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है।

(6) यह कि द्वितीय पक्ष दुग्ध संघ द्वारा आवंटित क्षेत्र में ही दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय करेंगे, क्षेत्र से बाहर दुग्ध उत्पाद का विक्रय नहीं कर सकेंगे। बाहर के क्षेत्र में विक्रय करने पर अन्य वितरक के लक्ष्य प्रभावित होते हैं तथा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा निर्मित होती है। क्षेत्र विभाजन अनुसार कार्य करना अनिवार्य है।

(7) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को दूध एवं दुग्ध उत्पाद की विक्रय वृद्धि हेतु संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगे। जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

(8) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को यह अधिकार रहेगा कि द्वितीय पक्ष द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छैः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा तथा उसी अनुसार वितरकशिप आगे बढाई जाना है अथवा नहीं, का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं होगा।

(9) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को द्वारा द्वितीय पक्ष/वितरक को कार्य अवधि के मध्य दिये गये आदेश/निर्देश/पत्र/परिपत्र आदि अनुबंध का अंग माने जावेंगे। पत्रों में उल्लेखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(10) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कारणवश यदि अधिकृत वितरक की वितरकशिप समाप्त की जाती है तो उस अवधि के पश्चात् दुग्ध संघ द्वारा सीधे

विक्रेता दर पर विक्रेताओं को उनकी मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद का प्रदाय अग्रिम नगद भुगतान पर संघ के भंडार से किया जावेगा।

(11) यह कि प्रथम पक्ष/वितरक द्वारा किन्हीं कारण से एजेंसी आगे संचालित नहीं करना चाहते तो उसकी सूचना लिखित में एक माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा। इसके आभाव में द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि वापस किया जाना संभव नहीं होगा। औपचारिकताऐं पूर्ण करने के दो माह पश्चात् प्रतिभूति राशि वापस की जावेगी।

(12) द्वितीय पक्ष को आयकर PAN No. एवं विक्रय कर सम्बन्धी किन्ही भी आवश्यकता हेतु कार्यालय मे उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव मे यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ति सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

(13) यह कि द्वितीय पक्ष/वितरक माल प्राप्त करते समय हर तरह से (गुणवत्ता, पैकिंग, तारीख, लीकेज आदि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, इसके पश्चात् किसी शिकायत को मान्य नहीं किया जायेगा।

(14) यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत् किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ निर्मित दुग्ध उत्पाद के सेम्पल की मांग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/वितरक उन्हें सील बन्द ईकाई में दुग्ध उत्पाद देवेगें, किसी भी स्थिति मे खुला दुग्ध उत्पाद नही देगें, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा। साथ ही सैम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात् दस्तावेजी प्रतियाँ भी कार्यालय मे 24 घन्टे की समय अवधि मे देना अनिवार्य होगी।

(15) यह कि द्वितीय पक्ष/वितरक द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के इंस्युलेटेड परिवहन वाहन करना आवश्यक होगा, इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नही दिया जावेगा।

(16) यह कि द्वितीय पक्ष ''साँची'' दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु अधिकृत वितरक नियुक्त है, अतः छोटे छोटे व्यापारियों/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी सम्बन्ध बना कर रखना होगा।

(17) यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशी रहेगा, इस हेतु वितरक से विधि अनुसार वारिस का नाम संलग्न करना होगा।

(18) यह कि उपरोक्त शर्तो मे व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

(19) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति मे अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर सह. दुग्ध संघ मर्यादित., जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(20) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र, जबलपुर रहेगा।

उपरोक्त शर्तो पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश–हवास मे जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर के कार्यालय मे निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर	मेसर्स––––––––––––––––––

गवाहः (1) प्रथम पक्ष नामः–––––––––––––––––– पताः–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– हस्ताक्षरः–––––––––––––––	गवाहः (1) द्वितीय पक्ष नामः–––––––––––––––––– पताः–––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––– हस्ताक्षरः–––––––––––––––
गवाहः (2) प्रथम पक्ष नामः–––––––––––––––––– पताः–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– हस्ताक्षरः–––––––––––––––	गवाहः (2) द्वितीय पक्ष नामः–––––––––––––––––– पताः–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– हस्ताक्षरः–––––––––––––––